डीजी परिपत्र संख्या-16 /2026
यक्ष परिपत्र संख्या- 09/2026

राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
दिनांक- मार्च 06, 2026

प्राथमिकता – 1
Zero Tolerance against crime and criminals

प्रिय महोदया/ महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि **यक्ष ऐप के Rollout की चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया प्रचलित है।** इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देशों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है, जो निम्नवत है-

Circular	Regarding	Status
डीजी परिपत्र संख्या 02/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 01/2026)**	SOP/BOOKLET	-
डीजी परिपत्र संख्या 03/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 02/2026)**	थाना स्तर पर प्रारम्भिक कार्यवाही- थाना वर्गीकरण, कर्मी सत्यापन, गांव/मोहल्ला सत्यापन, हल्का चौकी सत्यापन, बीट सत्यापन के सम्बन्ध में	कार्यवाही पूर्ण
डीजी परिपत्र संख्या 05/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 03/2026)**	थाना स्तर पर **अपराधी को गांव/मोहल्ला Assign** करने के सम्बन्ध में	कार्यवाही लगभग पूर्ण
डीजी परिपत्र संख्या 06/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 04/2026)**	डीसीआरबी स्तर पर पूर्व **के Pending Approval** एवं पूर्व के **गैंगो को ऑनलाइन फीड** करने के सम्बन्ध में	कार्यवाही पूर्ण (गैंगो में अपराधी जोड़ने की कार्यवाही प्रचलित)
डीजी परिपत्र संख्या 09/2026 **(यक्ष परिपत्र संख्या 05/2026)**	थाना स्तर पर **हिस्ट्रीशीटर मार्क करने** एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा थाने की कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करने के सम्बन्ध में	कार्यवाही लगभग पूर्ण
डीजी परिपत्र संख्या 10/2026 **यक्ष परिपत्र संख्या 06/2026**	**GRP थानों** एवं डीसीआरबी द्वारा की कार्यवाही के सम्बन्ध में	-
डीजी परिपत्र संख्या 13/2026 **यक्ष परिपत्र संख्या 07/2026**	बीट कर्मी द्वारा **अपराधी सत्यापन** करने के सम्बन्ध में	-
डीजी परिपत्र संख्या 15/2026 **यक्ष परिपत्र संख्या 08/2026**	21 अपराध श्रेणियों से सम्बन्धित **अपराधियों की डेटा फीडिंग** के सम्बन्ध में	-

Related to Monitoring Dashboard

YAKSH में सभी स्तर पर Web Dashboard का Access पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका है।

Yaksh Mobile App का Access कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी एवं थाना/चौकी/हल्का एवं बीट स्तर पर पूर्व में प्रदान किया जा चुका है।

अपराध एवं अपराधियों की कड़ी निगरानी/सत्यापन हेतु ज़ोन से लेकर क्षेत्राधिकारी स्तर तक सभी को दिनांक 23.02.2026 से Yaksh Mobile App का Access प्रदान किया जा चुका है।

पर्यवेक्षण अधिकारियों को यक्ष ऐप में दिये जाने वाले Features

समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को **Yaksh Web Dashboard / Mobile App** दोनों पर Login की सुविधा प्रदान की गयी है। पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपने CUG Number से OTP के माध्यम से **Yaksh Web Dashboard / Mobile App** पर Login करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

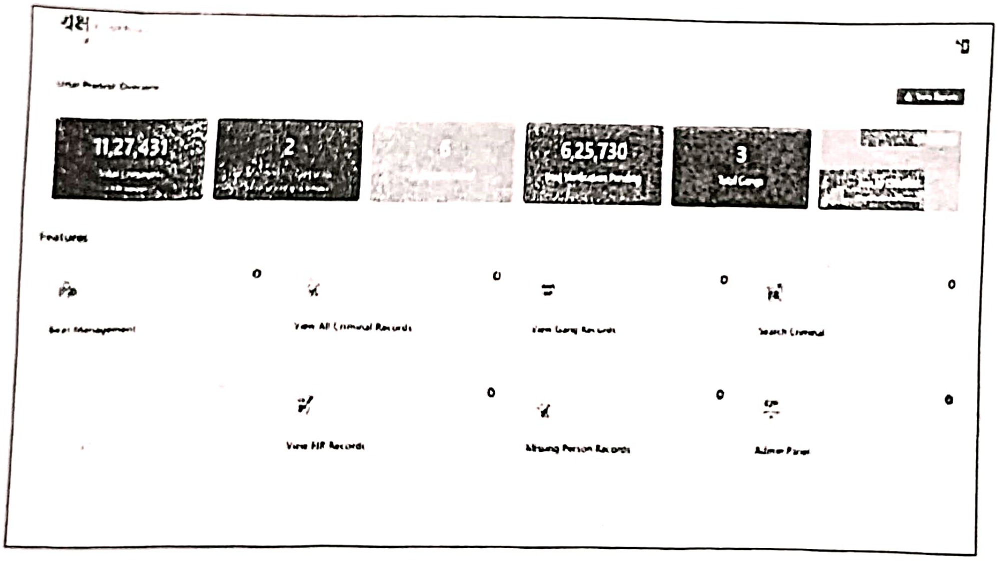

Web Dashboard

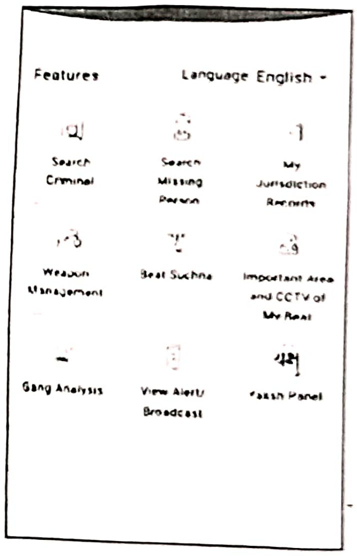

Mobile App

➢ पर्यवेक्षण अधिकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले थानों के प्रत्येक चौकी/हल्का गांव/मोहल्लों का विवरण बीटवार एवं समस्त पुलिस कर्मियों का डाटा Dashboard में Beat Management Option में देख सकते है।

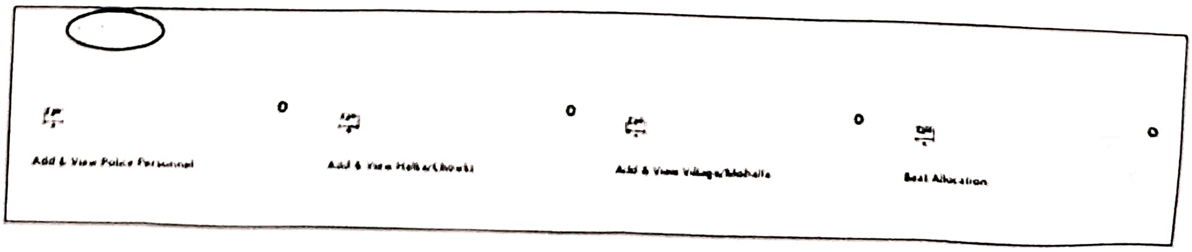

➢ पर्यवेक्षण अधिकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बीटों के महत्वपूर्ण स्थान, संवेदनशील स्थान व सीसीटीवी कैमरो की लोकेशन **Mobile App** के माध्यम से **Important Area and CCTV of MY Beat** Option में देख सकते है। पर्यवेक्षण अधिकारी **Important Area में बीट क्षेत्र के**

बैंक, बाजार, सर्राफा बाजार, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, अम्बेडकर मूर्ति, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, शराब की दुकान, मॉडल शॉप/बार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थान आदि तथा बीट क्षेत्र समस्त CCTV अधिक से अधिक मार्क कराना सुनिश्चित करें।

यह समस्त सूचनायें अभियोगों के अनावरण, कानून व्यवस्था, राजनैतिक गतिविधि आदि परिस्थितियों के समय बहुत ही मददगार साबित होगी।

- पर्यवेक्षण अधिकारी अपराधियों की पहचान हेतु **Face, Text Search** की सुविधा का प्रयोग कर सकते है। इससे घटनाओं के अनावरण में भी मदद मिलेगी। भविष्य में Voice Search की Facility भी प्रदान की जायेगी, जिससे की अभियुक्त की Voice से भी अभियुक्त को सर्च किया जाना सम्भव हो सकेगा।

  Voice Search को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि अभियुक्तों की फीडिंग के समय नियमानुसार अभियुक्त की उच्च गुणवत्ता का Voice Sample ऐप में अपलोड किया जाये।

  Face Search की सुविधा थाना प्रभारी स्तर से ऊपर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को प्रदान किया गया है। बैंक या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हो तो ऐसी दशा में **संदिग्धों की पहचान** करने हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से **Face Search की सुविधा** का प्रयोग करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।

- पर्यवेक्षण अधिकारी को DCRB Verification का Status देखने की Facility भी दी गयी है जिसके माध्यम से वह अपने पर्यवेक्षणाधीन थानों द्वारा फीड किये गये अपराधियों के Approval की कार्यवाही DCRB स्तर से समय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

- पर्यवेक्षण अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के सक्रिय अपराधी, माफियाओं व हिस्ट्रीशीटरो का Periodic verification कराते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

- **पर्यवेक्षण** अधिकारी DCRB द्वारा पूर्व के **D/ID/IR/IS Gangs** की ऑनलाइन फीडिंग की कार्यवाही का पर्यवेक्षण कर सकते है। साथ ही अपने क्षेत्र के गैंगो की स्थिति की ऑनलाइन देख सकते है तथा गैंगो के सक्रिय होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कराने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देशित कर सकते है।

- **Broadcast & View Alerts** - जब भी किसी व्यक्ति/क्षेत्र की सूचना एवं बीट की गतिविधियों की जानकारी विभिन्न स्तर से वांछनीय हो या कोई विशेष अभियान चलाना हो, तो पर्यवेक्षण अधिकारी **Broadcast व View Alerts** की सुविधा का प्रयोग कर कार्यवाही कर सकता है।

Note- मुख्यालय स्तर पर Broadcast (for Normal Cases) / SOS (for Urgent/Emergency Situation with Alert Tone) का feature दिया गया है, वे इस Option का प्रयोग Emergency Situation में करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को Message Alert Tone के साथ प्रेषित कर सकते हैं।

- **Criminal Link Analysis** की सुविधा का प्रयोग करते हुये AI के द्वारा (अगर कोई दो अपराधी एक साथ) अपराधियों के नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- **Vehicle Search** की सुविधा का प्रयोग करते संदिग्ध वाहनों/लावारिस वाहनों की चैकिंग की कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में MoRTH के द्वारा कुछ सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय से कार्यवाही प्रचलित है। (नम्बर डालने से, चेचिस नं0 / इंजन नं0 सर्च)
- मुख्यालय स्तर पर एक टीम के द्वारा गहन अध्ययन के उपरान्त अभियुक्तों की अपराध की संवेदनशीलता, अपराध के समय, लूटी/चोरी गयी सम्पत्ति, प्रयुक्त शस्त्र एवं **Modus Operandi** आदि के अनुसार अभियुक्तों के स्कोरिंग की व्यवस्था की गयी है।
- **प्रत्येक स्तर पर Scientific & Dynamic तरीके से अपने पर्यवेक्षणीय क्षेत्र के टॉप 7 अपराधियों का विवरण TOP-10 Criminal Tile पर प्रदर्शित होने लगेगा। थाना स्तर अपने कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी से अनुमोदन प्राप्त कर TOP 10 हेतु शेष 03 अपराधियों का चयन कर सकेंगे। इसी प्रकार जोन एवं रेन्ज के 03 (TOP 10) अपराधी का चयन करेंगे।**
  यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि कई दुर्दान्त अपराधी कई वर्षों से जेल में है, उनका एवं उनके सहअपराधियों की भी निगरानी सम्भव हो सके। (Coming Soon)
- चौकी/हल्का इन्चार्ज एवं बीट कर्मियों द्वारा ऐप में अंकित की जाने वाली **बीट सूचनायें** जैसे- भविष्य में अपराध करने की संभावना, अवैध गतिविधी एवं महत्वपूर्ण टिप्पणियों का पर्यवेक्षण करते हुये आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराना। पर्यवेक्षणीय अधिकारी समय समय पर लम्बित सत्यापन का अध्ययन करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दे सकेंगे।
- पर्यवेक्षण अधिकारी अपने स्तर पर **शस्त्र लाइसेन्स धारको** का विवरण भी देख सकते है तथा **शस्त्र एवं कारतूसों का सत्यापन** का Status भी देख सकते है। शासन स्तर से शस्त्रो का एकमुश्त डाटा प्राप्त कर यक्ष ऐप में बैकएण्ड से अपलोड करने की कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त कार्यवाही हो जाने से अवैध शस्त्रो व कारतूसों पर प्रभावी नियन्त्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
- **गुमशुदा व्यक्ति** के सम्बन्ध में CCTNS के गुमशुदा फार्म (IIF- 8) से लिंक किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त कार्यवाही से बीट स्तर पर अज्ञात शव/गुमशुदा की सिनाख्त एवं बरामदगी की कार्यवाही रियल टाइम में सम्भव हो सकेगी। साथ ही थाना प्रभारी को CCTNS के IIF- 8 फार्म को अद्यतन करने में मदद मिलेगी।

पर्यवेक्षण अधिकारी निम्न Report Generate कर देख सकते है-

1. **Geo Tagging Report**
2. **Area/CCTV Marking Report**
3. **Chowki/Halka/Beat Personnel not Assigned Report**
4. **Village without Population Count Report**

Related to Monitoring Dashboard

5. Criminal Village not Assigned Report
6. DCRB Pending Approval Report
7. Criminal Verification by Halka/Chowki & Beat Personnel
8. History Sheeter Count Report
9. Gang Count Report

पर्यवेक्षण अधिकारी Report Generate कर निम्न कार्यवाही की मॉनिटरिंग कर सकते है-

- पर्यवेक्षण अधिकारी यह मॉनिटर कर सकते हैं कि बीट कर्मियों द्वारा गांवो के महत्वपूर्ण स्थान, संवेदनशील स्थान व सीसीटीवी कैमरों की Geo Tagging की जा रही है अथवा नहीं।
- पर्यवेक्षण अधिकारी यह मॉनिटर कर सकते है कि कितनी बीटों पर बीट कर्मी नियुक्त है और कितनी बीटें रिक्त है। तदनुसार थाना प्रभारी को रिक्त बीटों पर बीट कर्मी नियुक्त करने के सम्बन्ध में निर्देशित कर सकते हैं।
- पर्यवेक्षण अधिकारी यह मॉनिटर कर सकते है कि कितने चौकी/हल्को पर चौकी/हल्का इंचार्ज नियुक्त है और कितनी चौकी/हल्के रिक्त है। तदनुसार सम्बन्धित जनपद प्रभारी द्वारा चौकी/हल्का इंचार्ज नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।
- पर्यवेक्षण अधिकारी यह मॉनिटर कर सकते है कि चौकी/हल्का इंचार्ज द्वारा गांवों/मोहल्लों की जनसंख्या ऐप में फीड की जा रही है या नहीं। कार्यवाही में शिथिलता होने पर सम्बन्धित को Sensitize कर सकते हैं।
- पर्यवेक्षण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह त्रिनेत्र एवं अन्य स्तरों से फीड गये अपराधियों के डेटा को Purity के साथ अद्यावधिक करने की कार्यवाही के सम्बन्ध अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करें कि थाना स्तर पर लम्बित अपराधी सत्यापन की कार्यवाही को अभियान चलाकर कर समय से पूर्ण करायें।
- यक्ष ऐप पर मुख्य रूप से 21 Category (डकैती, लूट, हत्या / हत्या का प्रयास, नकबजनी, चोरी, जहरखुरानी, फिरौती हेतु अपहरण, अवैध ड्रग्स का व्यापार, अवैध शराब का व्यापार, अवैध शस्त्रों का व्यापार / शस्त्र फैक्ट्री, जबरन वसूली, गोवध अधिनियम, गौ तस्करी, पाक्सो अधिनियम, आवश्यक वस्तु / खनिज अधिनियम (अवैध खनन), साइबर क्राइम, देह व्यापार, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध होने पर, गुण्डा एक्ट में निरुद्ध होने पर, बड़े स्तर पर जुआ/सट्टा कराने वाला, एवं अन्य दुर्दान्त अपराधियों) की मॉनिटरिंग की जानी है। पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले अपराधियों की शत-प्रतिशत फीडिंग (Criminal ID Creation) नियमानुसार की जाये तथा अभियुक्त का उच्च गुणवत्ता का Photo & Audio Sample अपलोड किया जाये।
- लगभग 11 लाख अपराधियों को गांव/मोहल्ला Assign किया जा चुका है। बीट कर्मियों द्वारा इन अपराधियों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। पर्यवेक्षण अधिकारी बीट कर्मियों द्वारा किये जाने वाले अपराधी सत्यापन के कार्य की नियमित समीक्षा करेंगे तथा थाना प्रभारी व चौकी/हल्का को निर्देशित करेंगे कि वह 10 दिनों में शत प्रतिशत अपराधी सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायें। सत्यापन के उपरान्त ही यह जानकारी हो पायेगी की कितने अपराधियों को गांव/मोहल्ला Assign

नहीं हो पाया है या गलत अंकित है। उसके उपरान्त अभियान चलाकर इन अपराधियों को भौतिक रूप से सत्यापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

- पर्यवेक्षण अधिकारी यह मॉनिटर कर सकते है कि DCRB द्वारा Gang Creation और Gang में सदस्य जोड़ने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर ली गयी है अथवा नहीं।

यक्ष ऐप में किये जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु थाने से लेकर जोनल मुख्यालय तक Robust Monitoring की व्यवस्था की गयी है। अधिकारी अपने स्तर पर जनपद/थाना वार Pendency निकाल सकते है तथा प्रतिदिन आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण कर सकते है। पर्यवेक्षण अधिकारी अपने स्तर से अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की कार्यवाही एवं खराब कार्य करने वाले कर्मियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकते है।

आप सहमत होंगे कि AI और Big DATA के माध्यम से बीट व्यवस्था को डिजिटाइज किया जा रहा है तथा अपराध एवं अपराधियों के डाटा के साथ ही अपराध की रोकथाम के लिये आवश्यक समस्त जानकारियां जैसे- **सवंदेनशील स्थल, सीसीटीवी आदि का Digitization** किया जा रहा है। जिसके माध्यम से **Real Time में अपराधियों की मॉनिटरिंग** के साथ ही अपराध की रोकथाम के लिये **आवश्यक सूचना की उपलब्धता** सम्भव हो सकेगी। इसके लिये आवश्यक है कि **डाटा सत्यापित एवं उच्च गुणवत्ता** का हो। ऐसा होने पर ही भविष्य में **CrimeGPT के माध्यम से सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त** की जा सकेगी।

भविष्य में आवश्यकतानुसार/उपयोगितानुसार अन्य प्रकार के रिपोर्ट जेनेरेशन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी ताकि आपके द्वारा की जा रही पर्यवेक्षण में मदद मिल सके। आप यक्ष ऐप को तकनीकी रूप से और अधिक बेहतर बनाने, डाटा की गोपनीयता एवं शुद्धता बनाये रखने के सम्बन्ध अपने सुझाव भी उपलब्ध करा सकते है।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में यक्ष ऐप का सफल क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक STF, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।